न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 96/2005

वादीः—

1. मुन्नालाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली (सोलंकी) निवासी पाली (पता)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. गोरधन दास पुत्र रामरतन जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
2. जुगल किशोर पुत्र गोरधन दास जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
3. विष्णु किशोर पुत्र गोरधन जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
4. अंबालाल पुत्र रामलाल जाति माली (परिहर) निवासी पाली (पताः 48, रामदेव रोड़)

उपस्थितिः—

1. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 4

वाद अंतर्गत धारा 88,90ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

प्रार्थना—पत्र बाबत् सम्पूर्ण वाद वादी जरिये एबेटमेन्ट के खारिज

—:आदेशः— दिनांक 28.02.2020

1. वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाजा पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.11.2016 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 की काफी अर्से पूर्व फौत होने बाबत न्यायालय मे जाहिर किया जा चुका था। तत्पश्चात् दिनांक 4/4/19 को न्यायालय हाजा द्वारा कॉस्ट रूपयें 500/— पर वादी के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू आदेश दिया गया था उसके बावजुद आज दिन तक मृतक प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के कायम मुकाम की कार्यवाही कानून की मंशानुसार हाजा पत्रावली मे वादी की ओर से नही की गयी है जिससे वाद वादी जरिये एबेटमेंट के सम्पूर्ण रूप से खारिज फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सम्पूर्ण रूप से ऐबेट हो जाने से जरिये एबेटमेन्ट के खारिज फरमाया जावें।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

4. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4 ने बहस के द्वौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 काफि अर्से पूर्व फौत हो चुके है जिसकी जानकारी वादी अधिवक्ता स्वयं द्वारा पेशी तारीख 02.11.2016 को न्यायालय मे दी। जो आदेशिका दिनांक 2/11/2016 के अवलोकन से प्रकट है। इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने आदेशिका दिनांक 4.4.2019 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर जाहिर किया कि उक्त पैशी पर न्यायालय द्वारा वादी को 500/– रूपयें की कॉस्ट पर मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू आदेशित किया गया था। इसके बावजुद आज दिन तक वादी ने मृतक प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के कायम मुकाम की कार्यवाही कानून की मंशानुसार नहीं की है। विधि अनुसार मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकामात को रेकर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतू विहीत मयाद अवधि आर्टीकल 120 लीमिटेशन एक्ट के तहत मृत्यु की दिनांक से 90 दिन है। अतः 90 दिनो के बाद वादी का दावा आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो गया तथा एबेटमेन्ट को अपास्त करने की मयाद अवधि आर्टीकल 121 लीमिटेशन एक्ट के तहत 60 दिन है जो अवधि भी व्यथित हो चुकी है। अतः वादी का दावा एबेट हो चुका है। अतः वादी का वाद एबेटमेंट में खारिज फरमावें।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 फौत हो चुके है जिसकी जानकारी वादी अधिवक्ता द्वारा पेशी तारीख 02.11.2016 को न्यायालय मे दी जो आदेशिका दिनांक 2.11.2016 के अवलोकन से प्रकट है। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 4.4.2019 के अवलोकन से प्रकट है कि न्यायालय द्वारा वादी को 500/– रूपयें की कॉस्ट पर मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू आदेशित किया गया था। इसके बावजुद आज दिन तक वादी ने मृतक प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। विधि अनुसार मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकामात को रेकर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतू विहीत मयाद अवधि आर्टीकल 120 लीमिटेशन एक्ट के तहत मृत्यु की दिनांक से 90 दिन है। अतः 90 दिनो के बाद वादी का दावा आदेश 22 नियम 4(3) सी.पी.सी. के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो गया तथा एबेटमेन्ट को अपास्त करने की मयाद अवधि आर्टीकल 121 लीमिटेशन एक्ट के तहत 60 दिन है जो अवधि भी व्यथित हो चुकी है। अतः उक्त प्रावधानों अनुसार वादी का वाद एबेट हो जाने से खारिज करने योग्य है। चूंकि वादी ने घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है अतः जिसमे वर्णित तथ्यों अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को प्रसन्नचित किया गया है। अतः वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है जिनके अभाव में वादी का वाद ही पोषणीय नहीं होकर समुचित एवं प्रभावी ढंग से निर्णित नहीं किया

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

जा सकता है। चूंकि वादी ने मृत प्रतिवादीगण 1 लगाय 3 के कायम मुकामात को रेकर्ड पर लेने हेतू विहित मयाद अवधि मे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः कानूनी मंशानुसार वादी का सम्पूर्ण दावा ऐबेट हो जाने से ऐबेटमेन्ट मे निरस्त करने योग्य है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार जाकर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,90ए, 188 एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28·02·2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलासः- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या- राजस्व वाद संख्या 96 सन् 2005 अंतर्गत धारा 88,90ए,188 आर.टी.एक्ट

वादीः-

1. मुन्नालाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली (सोलंकी) निवासी पाली (पता)

बनाम प्रतिवादीगणः-

1. गोरधन दास पुत्र रामरतन जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
2. जुगल किशोर पुत्र गोरधन दास जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
3. विष्णु किशोर पुत्र गोरधन जाति महेश्वरी (लड्ढा) निवासी पाली (पताः बादशाह का झंडा)
4. अंबालाल पुत्र रामलाल जाति माली (परिहार) निवासी पाली (पताः 48, रामदेव रोड़)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू शून्य वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वकील प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार जाकर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,90ए, 188 एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बावत.....शून्य...... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ...... शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत......Rohit......
ओहदा.....सहायक कलेक्टर पाली.....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: